

19.09.2025 पत्रावली पेडा उर्षी।

अधिवक्ता प्राथमिक उपलब्ध। वदस प्राथमिक  
प्राथमिक - पर अनर्जित आदेश 9 नियम पक्षी.  
पी. जी खुनी गरी, प्राथमिक के अनुसार  
उपरोक्त अन्याय प्रकण के प्राथमिक - पर भी  
कुन्वर्ष तारीख 02.05.2025 को छेँ व छारे

Om



सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

वकील साहब अदालत हाजिर होना था, मगर वकील साहब के मर्ग बीमाट होने से एवं एक प्रश्रिणा छोटे सामाजिक कार्यक्रम में बाहर चले जाने से हाजिर नहीं हो सके, इसी मुकदमे में उपरोक्त प्रश्रिणा-पत्र को अदम पैखी, अदम हाजरी में मारिज कट दिया गया। हम व हमारे वकील साहब के गेट हाजिर रहने का दोष कायम मौजूद है। इस कारण हमारा प्रश्रिणा-पत्र को नियमानुसार रेट्योर किया जाना - मायसोगत है। अतः प्रश्रिणा-पत्र पेश कट निवेदन है कि उपरोक्त प्रश्रिणा-पत्र को रेट्योर करने का आदेश देने की कृपा कर्पे।

हमारे प्रश्रिणा की हकपत्तीम बहस हुनी जकार उस पर मनन किया गया। पत्रवली एवं उस पर मौजूद दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रवली व अन्वयन रजाम का तहसीलदार साचोर जो दिनांक 02.05.2025 को जजि अदम हाजरी, अदम पैखी में प्रश्रिणा के अधिवक्ता - मायसोगत में उपस्थित नहीं होने बाबत खारिज की गई थी। प्रश्रिणा ठाक अपने मुकदमे की पैखी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ है जिससे अपने मुकदमे के प्रति सजक रहने एवं अपने मुकदमे को सुचना देने हेतु जिम्मेदारी दि गई थी। पत्र अधिवक्ता प्रश्रिणा निमत तारीख पैखी के दिन

हुक्म देखा! - 07/2025

ख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख में  
जारी हुए।

प्राथमिक के अधिकता बिमार होने से  
 न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ  
 रहे। अतः प्राथमिक के अधिकता के स्तर  
 से उठ उठ के कारण प्राथमिक को न्याय  
 से वंचित रहना उचित नहीं होगा है  
 तथा साथ ही प्रकरण का शुभावशुभ पर  
 न्याय नितिय किया जाना आवश्यक है अतः  
 प्राथमिक को उद्युत प्राथमिक-पत्र अन्तर्गत  
 आदेश 9 नियम 4 सी.पी.टी स्वीकार  
 योग्य होने से स्वीकार किया जाकर  
 मुल प्राथमिक-पत्र/पत्रावली स्वनाथ कोर्ट  
 बनाम तहसीलदार कोर्ट मुकदमा संख्या  
 08/2017 को पुनः उसी नेबट पर विषे  
 जाने के आदेश दिये जाते हैं। (अधिकता)  
 प्राथमिक आगामी नियत तारीख पेशी को  
 को न्यायालय में उपस्थित हो।

नितिय आज दिनांक 13.09.2025

को सट-ठ-इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फेसल शुमार होकर

नेबट से कम होकर कॉबिल दफत हो।

DM

भद्रासक कलेक्टर, सादौर  
(उपखण्ड अधिकारी सादौर)